

हिमाचल प्रदेश सरकार



निदेशालय आयुर्वेद विभाग,
हिमाचल प्रदेश

वार्षिक

प्रशासनिक रिपोर्ट

अप्रैल, 2010 से मार्च 2011

संपर्क

निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग,

ब्लॉक नः 26, एस.डी.ए (कम्प्लैक्स)

कसुम्पटी शिमला- 171009.

दूरभाषः 0177- 2622262

फैक्सः 0177- 2622010

परिचय

आयुर्वेद विभाग प्रदेश के सामान्य एवं दूर-दराज/दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह पद्धति मूलतयः पृथ्वी,जल, तेज, वायु और आकाश आदि पंचभूत तत्वों तथा वात, पित्त, कफ पर आधारित है तथा विश्व की प्रचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है । इस पद्धति का वैज्ञानिक आधार है तथा इस प्रणाली ने लोगों में अपनी विशेष पहचान बनाई है । यह पद्धति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आम जनता में श्वासरोग, पाचन तन्त्र के रोग स्नायु तन्त्र के रोग,पक्षाघात स्नायु सम्बन्धित बिमारियां जिसमें लम्बर-अधोपृष्ठ क्षेत्र मुख्य है, गुद विदार एवम भगन्दर आदि पुरानी विमारियों को साध्य करने में विशेष रूप से लोकप्रिय सिद्ध हुई है । यह सर्वविदित है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित लक्ष्य को इस विभाग की सहायता के बिना अकेले प्राप्त नहीं कर सकता है । भारतीय चिकित्सा पद्धति एवम् होम्योपैथी विभाग के संस्थान भी प्रदेश के दुर्गम एवम दूर दराज क्षेत्रों में स्थापित है जहां वह जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे है । पारम्परिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद जीवन को शरीर, मन, इन्द्रियां एवं आत्मा का सायुज्यन मानता है तथा जिस समग्र स्वास्थ्य की बात होती है, वह मानव को भौतिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के सामंजस्य द्वारा ही सम्भव है । स्वास्थ्य का यह विस्तृत एवं विभिन्न आयामों सम्मिलित विचार भौतिकवाद से परे उल्लयू0 एच0 ओ0 द्वारा स्वास्थ्य की सयुंक्त परिभाषा से बहुत मेल खाता है जिसमें 'हैल्थ-फार आल' के अन्तर्गत मानवीय चेतनाओं, भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अनुभूति का समावेश है । इस पद्धति के इतने विशाल ढांचे व देश-प्रदेश के दुर्गम इलाको तक पहुंच के दृष्टिगत हमारे देश में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतू आयूष का महत्वपूर्ण योगदान एवं उज्ज्वल भविष्य है । राज्य सरकार भी इस पारम्परिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार को काफी महत्व दे रही है, जिसके लिए आयुर्वेद विभाग स्वतन्त्र रूप से दिनांक 7 नवम्बर 1984 से निरन्तर कार्यरत है।

इस विभाग के अधीन चिकित्सा की निम्न पद्धतियां आती हैं:-

(1) आयुर्वेद (पंचकर्मा सहित) (2) योग व प्राकृतिक पद्धति (3) यूनानी (4) सिद्धा (5) होम्योपैथी । इसके अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 4 आमची स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित है जो तिब्बति चिकित्सा पद्धति पर आधारित है ।

वर्ष 1984 में स्वास्थ्य विभाग से अलग होने पर आयुर्वेद विभाग में कुल 441 संस्थान थे। समय व्यतीत होने के साथ-2 विभाग ने इन वर्षों में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व मूलभूत सुविधाएं जुटाने में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इस के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश आज भारतीय चिकित्सा की इस पद्धति को विकसित करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है।

संस्थागत ढांचा

विभागीय संस्थानों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र:

वर्तमान में विभाग में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक संस्थानों की संख्या 1151 है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल (प्रत्येक 200/50 विस्तरीय)	02
2. अ. कार्यरत आयुर्वेदिक अस्पताल (20 विस्तरीय -5,10-विस्तरीय-20)	23
ब. (2-20 विस्तरीय स्वीकृत- अभी कार्य नहीं कर रहे हैं):	02
3. आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र	1102
4. होम्योपैथिक स्वा0 केन्द्र	14
5. यूनानी स्वा0 केन्द्र	03
6. प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	01
7. आमची स्वा0 केन्द्र	04.

कुल

1151

नोट:- 03 आयुर्वेदिक संस्थानों के डी-नोटिफाई होने के फलस्वरूप आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या घटकर 1102 रह गई है ।


(ख) अन्य संस्थान

1.राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला जिला कांगडा (हि.प्र)	01
2. आयुर्वेद भेषती विज्ञान महाविद्यालय कालेज आफ आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल साईंसिज,जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ।	01
3. आयुर्वेदिक फार्मसी जोगिन्द्रनगर (मण्डी), माजरा (सिरमौर) एवम पपरोला (कांगडा)	03
4. औषध प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ।	01
5. क्षेत्रीय उत्कृष्ट आयुर्वेद जरा स्वास्थ्य रक्षण केन्द्र पपरोला जिला कांगडा	01
6. द्रव्यगुण एवं हिमालयन बनौषधि उत्कृष्ट संस्थान,जोगिन्द्रनगर	01
7. अनुसन्धान संस्थान भा.चि.प.	01

1. जोगिन्द्रनगर,
2. नेरी (हमीरपुर)
3. दुमरेडा(रोहडू)
4. जंगल झलेडा (बिलासपुर)

वर्ष 2010-11 के दौरान उपरोक्त आयुर्वेदिक संस्थानों में अंतरंग
90232 तथा 4963609 बहिरंग रोगियों का उपचार किया गया।

Organizational Set-up in the State Ayurved Department



निदेशालय आयुर्वेद

वर्ष 1984 से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के संचालन निरीक्षण हेतु एक स्वतन्त्र प्रभारी मन्त्री तथा वरिष्ठ आई.ए.एस./एच.ए.एस अधिकारी जिनके पास निदेशक आयुर्वेद का प्रभार है कार्यरत है, एक अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद का पद है, जो राज्य प्रशासनिक सेवाओं से है। वर्तमान में दो मनोनीत विशेष कार्य अधिकारी तथा दो सहायक निदेशक तकनीकी परामर्श हेतु कार्यरत हैं। जिला स्तर पर सभी जिलों में एक जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा उपमण्डल स्तर पर 36 उप मण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

जिला स्तरीय व्यवस्था

स्वास्थ्य विभाग से पृथक होने से पूर्व भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग सीधे तौर पर सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अधीन था तथा विभाग की सभी गतिविधियां आयुर्वेदिक निरीक्षक के माध्यम से चलाई जाती थी। स्वतन्त्र विभाग की संरचना के दृष्टिगत जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों के पदों के सृजन हुए जिन्हें उनके सम्बंधित जिलों में हर प्रकार के कार्य को चलाने के लिए सशक्त किया गया।

प्रत्येक जिले में प्राथमिक चिकित्सा ईकाई के रूप में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। सभी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पांच कर्मचारियों के पदों की व्यवस्था है, जिनमें एक आयु० चिकित्सा अधिकारी, एक आयुर्वेद फार्मासिस्ट, एक ए.एन.एम./दाई एक चतुर्थ श्रेणी तथा एक स्वच्छक (नियमित/पार्ट टाईम) है। इस समय 10 जिला मुख्यालयों में एक-एक 10/20 विस्तरीय आयु० चिकित्सालय स्थापित है जिनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों व पैरा मैडिकल कर्मियों के कुल मिला कर 14 पद सृजित है जो बहिरंग व अंतरंग रोगियों की सेवा करते हैं। अधिकतर आयु० स्वा० केन्द्र प्रदेश के ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में स्थापित है जहां स्वास्थ्य विभाग का कोई भी संस्थान

नहीं है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा सेवाएं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है ।

प्रत्येक आयु0 स्वास्थ्य केन्द्र व अस्पताल की प्रशासनिक देख रेख/निरीक्षण व दवाईयों आदि की आपूर्ति जिला स्तर से की जाती है ।

प्रशासनिक संरचना का विकेन्द्रीकरण

विभाग के अर्न्तगत जिला स्तर पर सभी जिलों में एक-एक जिला आयु0 अधिकारी कार्यरत है । प्रशासनिक संरचना के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से सरकार द्वारा 36 उपमण्डलीय आयु0 चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, राजस्व उपमण्डलों पर खोले गये हैं । इन उपमण्डलीय कार्यालयों को वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण जिला मुख्यालय से किया गया है । इस निर्णय/ब्यवस्था से न केवल प्रशासनिक ढांचा संरचित हुआ है बल्कि जनता को समीपतन/उनके घर के पास सुचारु स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हुईं तथा स्वा0 केन्द्रों व अस्पतालों का शीघ्र व सक्रिय संचालन भी हो रहा है ।

चिकित्सा राहत

प्राथमिक आयुर्वेदिक संस्थान

विभाग के पास प्राथमिक व द्वितीय स्तर के संस्थानों का एक बड़ा जाल है । स्वास्थ्य की प्रथम मूल ईकाई आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो 3000 से 5000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ दे रहे हैं ।

सकैन्दरी/माध्यमिक स्तर के संस्थान

राजकीय आयु. चिकित्सालय माध्यमिक स्वास्थ्य देख-रेख की ईकाई है । यह अस्पताल सामान्य तौर से जिला स्तर/उप मण्डलीय स्तर पर स्थापित है

। इन अतरंग अस्पतालों में 10/20 विस्तारों का प्रावधान है । प्रत्येक अस्पताल में 2-2 आ0 चि0 अधिकारी के अतिरिक्त एक विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है।

क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय संस्थान

क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय ईकाई के रूप में विभाग के अन्तर्गत 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला, जिला कांगडा और शिमला-2 में कार्यरत है जिनमें क्रमशः 200/50 विस्तारों की व्यवस्था है । राजीव गांधी आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला राज्य के आयुर्वेदिक विशेषज्ञता अस्पताल के रूप जाना जाता है । 200 विस्तरीय होने के साथ-2 इसमें 5 चिकित्सा विषेषज्ञ विभाग भी कार्यरत है ।

(ब) नई सेवाए/योजनाएं:

राज्य के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में बरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक मंगलवार को विशेष वहिरंग रोगी विभाग संचालित किए गए है ।

इस स्कीम के तहत भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा इस विभाग को देश का नोडल राज्य घोषित किया है ।

हि.प्र. भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड तथा होम्योपैथिक कौंसिल जिनके प्रमुख रजिस्ट्रार होते है, विभागाध्यक्ष, जो पंजीकरण बोर्ड/कौंसिल के अध्यक्ष है, के अधीन कार्य करते है ।

1. (अ) निदेशालय स्तर पर दवाईयां बनाने हेतू नियम/ विनियम:

- | | |
|--|------|
| 1) दवाईया बनाने हेतु जारी किये गये नये लाईसेंस | 05 |
| 2) जारी किए गए जी.पी.एम प्रमाण पत्र | 20 |
| 3) अनुमोदित फार्मूले | 1505 |
| 4) दवाई बनाने वाली ईकाई का निरीक्षण किया गया | 112 |
| 5) भारत सरकार के निर्देशानुसार औषध निर्माण लाईसेंस | 01 |

जारी करने हेतू गठित विशेषज्ञ समितियां

आयुर्वेद विभाग में स्वीकृत/कार्यालय स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	निदेशक	01	01
2	अतिरिक्त /सयुक्त निदेशक	01	01	01
3	प्रशासक	01	...	01
4	सहायक निदेशक	02	02
5	विशेष कार्य अधिकारी अभिहित (Designated)	01	02 केवल- मनोनीत	01
6	प्रबन्धक आयुर्वेदिक फार्मसी	03	—	03
7	विशेष कार्य अधिकारी फार्मसी	01	—	01
8	चिकित्सा अधीक्षक	02	01	01
9	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी	12	12
10	वैज्ञानिक अधिकारी	01	01
11	विकिरण विज्ञानी / रेडियोलोजिस्ट	01	01
12	निश्चेतन अधिकारी / ऐनेस्थिस्ट	01	01
13	प्रधानाचार्य	01	01	६....
14	प्रोफेसर	11	06	05
15	रीडर	25	17	08
16	परियोजना अधिकारी	01	01
17	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक	01	01	—
18	वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक	17	03	14
19	वरिष्ठ लैक्चरर	15	11	04
20	लैक्चरर	14	12	02
21	वनस्पतिज्ञ	01	01
22	फार्मासियूटिकल कैमिस्ट	01	01
23	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	36	36	—
24	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	1148	980	168
25	होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी	14	11	03
26	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	03	01	02
27	आमची चिकित्सक	04	01	03
28	सूचना / प्रसार एवं प्रशिक्षण अधिकारी	01	—	01
29	प्रभारी हरवेरियम	01	—	01
30	सहायक प्रबन्धक फार्मसी	02	—	02
31	अधीक्षक ग्रेड-1	05	03	02
32	अधीक्षक ग्रेड-11	20	20	—
33	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	03	02	01
34	वरिष्ठ सहायक	45	44	01

35	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	111	70	41
36	निजि सचिव	01	01	—
37	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	01	01	.
38	कनिष्ठ आशुलिपिक	01	—	01
39	आशुटंकक	04	03	01
40	संख्यिकी सहायक	02	—	02
41	गार्डन ईन्चार्ज	04	03	01
42	आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट	1174	492	682
43	होम्योपैथिक कम्पाउंडर	14	13	01
44	आमची डिस्पेन्सर	04	—	04
45	स्टाफ नर्स	54	37	17
46	वार्ड सिस्टर	03	03	:
47	ए.एन.एम	190	154	36
48	दाई / मिडवाईफ	894	504	390
49	लैब तकनिशियन	38	19	19
50	तकनीकी सहायक	03	—	03
51	फिजियोथरेपिस्ट	01	—	01
52	लैब अटैण्डेंट	18	17	01
53	मकैनिक	03	01	02
54	योगा अनुदेशक	01	—	01
55	कलाकार	01	01	—
56	सहायक लाईब्रेरियन	01	01	—
57	बिजली मिस्त्री	01	01	—
58	पलम्बर	01	01	—
59	आप्रेशन थियेटर सहायक	01	—	01
60	रेडियोग्राफर	01	01	—
61	डार्क रूम सहायक	01	01
62	सहायक	01	01	.
63	वैज्ञानिक सहायक	02	...	02
64	लैव सहायक	02	01	01
65	लैव सहायक अनुसंधान	02	01.	01
66	चालक	19	19	...
67	चतुर्थ श्रेणी	1083	563	520
68	स्वच्छक	169	138	31
	कुल योग:	5203	3212	1991

बजट

वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए विभाग का कुल वार्षिक मूल बजट ,योजना/गैर योजनाद्ध में मु0 1108967000 रुपये था जिसका ब्यौरा निम्न से है सभी अधिनस्थ कार्यालयो के लिये विद्यमान अनुदेशों के अनुसार वितरित किया गया :-

- | | | |
|----|-----------|-----------|
| 1. | योजना | 175500000 |
| 2. | गैर योजना | 933467000 |

अन्य सम्बद्ध संस्थान :

राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला जिला कांगडा हि0प्र0 ।

परिचय

प्रदेश में राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला जिला कांगडा में चलाया जा रहा है जिसमें कि भारतवर्ष में अपना एक स्थान बनाया है तथा भारतवर्ष के उन्नत संस्थानों में से एक है । यह महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश सरकार का एक मात्र महाविद्यालय आयुर्वेद के प्रषिक्षण संस्थान है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर जिला कांगडा के अंतर्गत पपरोला कस्बे में रमणीक पहाड़ियों से धिरा हुआ है जो प्राकृतिक सौंदर्य व महत्वपूर्ण जडी-बूटियों से परिपूर्ण है। इसका निकटवर्ती रेलवे स्टेशन बैजनाथ पपरोला है और समीपवर्ती हवाई अड्डा लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर गगल में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाविद्यालय 38 वर्ष पुराना है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसका अधिग्रहण 31 वर्ष पूर्व किया था। यह महाविद्यालय हि0 प्र0 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा यहां छात्रों की प्रवेश क्षमता 50 छात्र प्रतिवर्ष है ।

उद्देश्य एवं लक्ष्य:

महाविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं के निर्माण के अतिरिक्त आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोन्नति एवं प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, लक्ष्य एवं उद्देश्य अधोलिखित है:-

- 1 आयुर्वेद की उन्नति और विकास को बढ़ावा देना।
- 2 सक्षम आयुर्वेद स्नातक/स्नातकोत्तर पैदा करना जो कि सम्पूर्ण राज्य में आयुर्वेदीय स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें और रोगियों को आयुर्वेदीय पद्धति से रोग मुक्त करे।
- 3 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान कर वैज्ञानिक ढंग से आयुर्वेदिक औषधियों का पुनर्मूल्यांकन करना।
- 4 महाविद्यालय के चिकित्सालय में विशेषज्ञों द्वारा रोगियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।
- 5 पूर्ण स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरे राज्यों से सम्पर्क स्थापित करना।
- 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेद के अध्यापकों और चिकित्सकों को सतत प्रशिक्षण प्रदान करके आधुनिक चिकित्सा अनुसंधानों और औषधियों की जानकारी उपलब्ध करवाना।
- 7 आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य का प्रचार एवं प्रसार समय समय पर शोध पत्रों, पुस्तकों, संभाषणों, कार्यशकलापों एवं कैंप आदि के द्वारा करना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सहायक कार्यक्रमों को करवाना।

वर्तमान में महाविद्यालय में निम्न कोर्स चल रहे है:-

- 1 महाविद्यालय में साढे. पाँच साल का आयुर्वेद स्नातक स्तर का बी. ए.एम.एस. कोर्स एक साल की इंटरनशिप के साथ।
- 2 महाविद्यालय में तीन साल का स्नातकोत्तर एम.डी. आयुर्वेद और एम.एस. आयुर्वेद का कोर्स निम्न विषयों में करवाया जाता है:- कायचिकित्सा (इंटरनल मैडिसिन), शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र (ई.एन. टी.), प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, संहिता एवं सिद्धांत, रस शास्त्र ऊएवं भैषज्य कल्पना, बाल रोग, रोग निदान, द्रव्य गुण, पंचकर्म एवं स्वास्थ्यवृत्त इत्यादि।
- 3 आयुर्वेद के प्राध्यापकों के लिए समय-समय पर रि-ओरियनटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम।
- 4 आयुर्वेद स्नातकों के लिए विभिन्न विषयों में एक वर्ष का हाऊस जॉब।
- 5 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए राज्य और अन्तरराज्यों स्तर पर सी.एम.ई प्रोग्राम।

महाविद्यालय भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है जो आयुर्वेद शिक्षा का नियामक है। यह स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालयों में सीटों की संख्या का निर्धारण करता है। केन्द्रीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी निदर्शों के अनुसार महाविद्यालय की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय आयुर्वेद की शिक्षा बोर्ड एवं आयुर्वेद समिति के द्वारा दिये गए निदेशों के अनुसार स्वतंत्र परीक्षा का संचालन करता है। विश्वविद्यालय उत्तीर्ण हुए छात्रों को उपाधि प्रदान करता है। स्नातक/स्नातकोत्तर कोर्स के लिए महाविद्यालय में निम्न सीटें हैं:-

स्नातक

1) बी,ए,एम ,एस 50

एम,डी, /एम.एस. (कुल 39 सीटें)

1. काया चिकित्सा	06
2 शल्य तन्त्र	04
3 शलाक्य तन्त्र	04
4 प्रसूति एवं शरीर रोग निदान	03
5 समहिता सिद्धान्त	04
6 रस शास्त्र	03
7. स्वास्थ्य वृत	03
8. रोग निदान	03
9. बाल रोग	03
10. द्रव्य गुण	03
11. पंचकर्मा	03

राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय शैक्षणिक विभागों का विवरण:-

1	कायचिकित्सा	..	स्नातकोत्तर विभाग
2	शल्य तंत्र	..	स्नातकोत्तर विभाग
3	शालाक्य तंत्र	..	स्नातकोत्तर विभाग
4	संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत	..	स्नातकोत्तर विभाग
5	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	..	स्नातकोत्तर विभाग
6	रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	..	स्नातकोत्तर विभाग
7	बाल रोग	..	स्नातकोत्तर विभाग
8	पंचकर्म	..	स्नातकोत्तर विभाग
9	रोग निदान	..	स्नातकोत्तर विभाग

10	स्वस्थ वृत एवं योग	..	स्नातकोत्तर विभाग
11	द्रव्य गुण	..	स्नातकोत्तर विभाग
12	रचना शरीर	..	स्नातक विभाग
13	शरीर क्रिया	..	स्नातक विभाग
14	अगद तंत्र	..	स्नातक विभाग

महाविद्यालय में वर्ष 2010-11 के शैक्षणिक परिणाम निम्न प्रकार से रहें:-
बी.ए.एम.एस

कक्षा का नाम	उत्तीर्ण प्रतिशतता
1. बी.ए.एम.एस, .(अन्तिम वर्ष) स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.)	100 प्रतिशत
कायचिकित्सा	.. 100 प्रतिशत
शल्य तंत्र	.. 100 प्रतिशत
शालाक्य तंत्र	. 100 प्रतिशत
समहिता एवं सिद्धांत	. 100 प्रतिशत
रस शास्त्र	.. 100 प्रतिशत
प्रसूति तंत्र	.. 100 प्रतिशत एम.डी.एम.एस.(आयु0)

महाविद्यालय का क्षेत्रफल और आवास सुविधाओं का विवरण:

महाविद्यालय परिसर 13.47.57 भूमि पर स्थित है जिसमें एक प्रशासनिक एवं लाईब्रेरी ब्लॉक, महाविद्यालय का पुराना भवन, दो अस्पताल भवन, फार्मसी, छात्रा एवं छात्र छात्रावास, प्रधानाचार्य निवास, वार्डन निवास और सरकारी कर्मचारी आवास में टाईप-चार(6),टाईप-तीन (6), टाईप-दो (6),टाईप-एक (6)आवास विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,पपरोला के विस्तार हेतु 1.27.45 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण 6.09.2010 को किया जा चुका है जिसपर निवेदिता आयुर्वेदिक कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 14.02.2011 को किया गया।

महाविद्यालय के साथ संलग्न क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय:

महाविद्यालय में दो सौ पन्द्रह बिस्तरीय अस्पताल है जहां पर बहिरंग और अंतरंग विभाग में रोगियों का आयुर्वेदिक औषधियों से उपचार किया जाता है। यहां बहिरंग और अंतरंग विभाग में आवश्यकतानुसार सभी उकरणों से सुसज्जित आप्रेशन थियेटर, लेबर रूम, आर्थो यूनिट, नेत्र रोग, डेंटल यूनिट, क्लिनिकल और बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी, चर्म रोग यूनिट, ऐक्स-रे, अल्ट्रा साउंड, ई.सी.,जी., टी.एम.टी. तथा स्पाईरोमैटरी इत्यादि सुविधा उपलब्ध है। यहां पर पंचकर्म, क्षारसूत्र, फिजियोथैरपी और टीकाकरण यूनिट भी कार्यरत है। अस्पताल के अन्दर रोगियों की सुविधा के लिए मैडिकल सटोर, कैटीन व आपातकालीन सेवाएं की सुविधा 24 घन्टे उपलब्ध है।

अस्पताल द्वारा वर्ष 2010-11 में प्रदान की गई सेवाओं का विवरण:

क्रम सं.	सेवाओं विवरण	वर्ष के दौरान उपचार किये गये रोगियों का विवरण
1	बहिरंग विभाग (पंजीकृत रोगी)	83583
2	अंतरंग रंग विभाग के रोगियों की संख्या	31146
3	आप्रेशन (जनरल सर्जरी, प्रसूति, अस्थिसंधि रोग एवं नेत्र रोग)	2412
4	प्रसव	657 सामान्य प्रसव -579 फोरसेप प्रसव - 31 सजेरियन - 47
5	शल्य में लघु व बृहत आप्रेशन	सामान्य सर्जरी बृहत -242 लघु/पैरासर्जरी - 1043 आर्थोपिडिक्स बृहत - लघु एवं पैरा सर्जरी-140

6	शालाक्य में लघु/बृहत आप्रेषण का विवरण	नेत्र रोग – 44 ई०एन०टी० मेजर 31 माईनर 273 एण्डोस्कोपी 1300 दन्त 1995
7	अनुसंधान लैब टैस्ट	5323
	एक्स-रे	4942
	अल्ट्रा साउंड	2733
	ई.सी.जी.	1300
	टी.एम.टी	58
	पंचकर्म के रोगियों की संख्या	5365
	क्षार सूत्र के रोगियों की संख्या	209
	टिकाकरण किया गया	170
	चर्म रोग लैब प्रोसिजर	82
	आर०एस०बी०वाई	373
	आई०सी०टी०सी०(टैस्टस)	1706
	आर०एन०टी०सी०पी	35

महाविद्यालय फार्मसी

महाविद्यालय परिसर में आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित एक आयुर्वेदिक फार्मसी है। इस फार्मसी का प्रयोग महाविद्यालय के अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है। महाविद्यालय फार्मसी में औषध निर्माण अच्छी गुणवत्ता, उच्च स्तर पर आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति द्वारा किया जाता है। महाविद्यालय फार्मसी में इस वर्ष 3218 किलो ग्राम की दो भिन्न-भिन्न फार्मुलेशन की औषधियों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 218 किलो ग्राम की 20 विभिन्न अनुसंधान औषध का निर्माण स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा किया गया। और लगभग 28.586 कि०ग्रा० की 34 विभिन्न फार्मुलेशन औषध का निर्माण बी.ए.एम.एस. के छात्रों द्वारा प्रयोगात्मक कार्य के लिए किया गया।

हर्बल गार्डन

इस समय महाविद्यालय के साथ सम्बद्ध हर्बल गार्डन जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी में विभिन्न प्रजाति की जडी-बूटियां सरल पहचान के लिए उगाई जाती है। महाविद्यालय का अपना हर्बल गार्डन गांव मझौरना में स्थापित किया जा रहा है। महाविद्यालय परिसर में रस शास्त्र विभाग का अपना एक म्यूजियम और हरबेरियम स्थापित किया गया है जिसमें लगभग 200 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधे गमलो में उगाए गए है जिसके बारे में छात्रों को विस्तृत अध्ययन व जानकारी दी जाती है।

महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा:

महाविद्यालय में छात्र व छात्राओं के लिए अलग-2 छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है जिसमें 100 छात्रों व 105 छात्राओं को रहने की व्यवस्था है । यह छात्रावास महाविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के लिए सहरूप से इस्तमाल किए जाते है। केन्द्रीय सहायता से 117.69 लाख रुपये की लागत से एक और छात्रा छात्रावास का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चूका है ।

महाविद्यालय मे वर्ष 2010-11 के लिए बजट प्रावधान

बजट	गैर योजना/योजना	सून	कुल
आंवटित	5,58,92,000	5,58,92,000
खर्चा	6,46,46,893	6,46,46,893
प्राप्तियां	41,42,554		41,42,554

आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 प्रदान की गई अनुदान राशियों के उपयोग करने का ब्यौरा:

i) मशीनरी व उपकरण	15,51,540
ii) साज-सज्जा व फर्नीचर	शून्य
iii) किताबे व जर्नल	27,966,

कुल योग

15,79,506

क) महाविद्यालय में वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्तियां:

क्रमांक	प्राप्ति	फीस / निधि
1	महाविद्यालय	32,90,433
2	आवास	13,79,530
	कुल	46,69,963

सरकार द्वारा प्रदान 1,38,82,584 लाख रूपये का मानदेय (स्टाईफंड) योग्य स्नातकोत्तर छात्रों में आवंटित किया गया।

नई योजनाएं :-

1. आयुर्वेदिक फार्मसी कालेज की स्थापना :

बी०आयुर्वेदिक फार्मसी आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में की गई जिसका पाठयक्रम हि० प्रदेश विश्वविद्यालय से अनुमोदित है। इस कोर्स के लिए 30 सीटों की संख्या है। 1 अक्टूबर 2010 से कक्षायें आरम्भ की जा चुकी है।

2. सेंटर आफ एक्सीलैन्स इन द्रव्यगुणा एवं औषधिय पौध की योजना का कार्यन्वयन:

उपरोक्त योजन का शुभारम्भ माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 14.02.2011 को किया गया। इस योजना के अन्तर्गत जडी-बूटी संरक्षण एवं प्रषिक्षण पर कार्य किया जायेगा जिसका कार्यन्वयन वनस्पति सोसाईटी द्वारा किया जाना है। इस संस्थान को चलाने हेतु वनस्पति वन सोसाईटी का गठन हो चुका है। इस कार्यक्रम के शुरुआत में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों/किसानों के लिए एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भवन निर्माण हेतु मामला हिमऊडा के विचाराधीन है।

3. क्षेत्रिय जरारोग उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना ।

क्षेत्रिय जरारोग उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय,पपरोला में आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिको को विशेष चिकित्सा सूविधा प्रदान करने का कार्यक्रम है ।इस योजना के कार्यन्वयन हेतु भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा 5.00 करोड की राषि विभिन्न मदो के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत 20 विस्तरीय जरा रोग पंचकर्मा अस्पताल खोलने की योजना है जिसपर कार्य आरम्भ किया जा चूका है तथा इसके संचालन हेतु फर्नीचर,उपकरण व औषधियों के क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई है ।

इस योजना के अन्तर्गत फरवरी 2011 में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय,पपरोला में मैडिकल कैम्प का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत लगभग 300 मरीजों की जाँच की गई । इसके अतिरिक्त सी0एम0ई प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों ने भाग लिया ।

ख) राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेशियां:

विभाग के अन्तर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मेशियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी एवं पपरोला जिला कांगडा में कार्यरत है । जोगिन्द्रनगर व माजरा की फार्मेशियां वर्ष 1952-53 में स्थापित की गई थी । यह फार्मेशियां तभी से स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही है तथा प्रदेश में विभाग के आयु0 संस्थानों को निरन्तर दवाईयां निर्मित कर आपूर्ति कर रही है ।

आयुर्वेदिक फार्मेशी माजरा जिला सिरमौर

1	स्थापना की तिथि	1952	
2	क्षेत्रफल	7.3 बिघा	
3	निर्मित औषधियों पर लागत	18,94,815	
4	कच्ची जडी-बूटियों की खरीद पर ब्यय	18,47,218	
5	बजट / ब्यय	स्वीकृत	ब्यय
		6211000 / -	6190176 / -

टिप्पणी: वर्ष के दौरान लक्ष्य निर्धारण के अनुसार निर्मित औषधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

आसव कक्ष:

वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्य	3 / 2011 तक लक्ष्य प्राप्ति	2010-2011 के दौरान निर्मित औषधियों पर कुल लागत
33216 लीटर	13310 लीटर	1796334 मप्रकिट बैल्यू
कुल 18 औषधियां	कुल 10 औषधियां	

भस्म कक्ष

7400 किलोग्राम	2532 किलोग्राम	572185.4 मार्किट वैल्यू
कुल 11 औषधियां	कुल 05 औषधियां	

टिप्पणी: यथासमय उचित मात्रा में जडी-बुटियां न मिलने के कारण निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी ।

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी जोगिन्दर नगर :

(1) वर्ष 2010-11 में निर्धारित लक्ष्य एवं औषध निर्माण:

क्रमांक	लक्ष्य		लक्ष्य प्राप्ति		
	निर्मित की जाने वाली औषधियों की संख्या	मात्रा	निर्मित औषधियों की संख्या	मात्रा	राशि रूपये में
1	31	30043 कि०ग्रा०	27	24441 कि०ग्रा०	1,00,74789

2. उपरोक्त के अतिरिक्त बी.फार्मसी, राज०आयुर्वेदिक फार्मसी, जोगिन्दरनगर एवं राजीव गॉधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला के छात्रों को प्रैक्टिकल हेतु औषधियों का निर्माण किया गया।

3. अन्य:

- वर्ष 2010-2011 में स्थानीय लघू शिवरात्री मेले में फार्मसी द्वारा निर्मित औषधियों की प्रदर्शनी लगाई गई।
- वर्ष 2010-2011 में आयुर्वेदिक स्नात्कोत्तर छात्रों की क्रियात्मक औषधियों का निर्माण कार्य भी फार्मसी में फार्मसी के भण्डार लक्ष्य के अतिरिक्त किया गया।
- वर्ष 2010-2011 में प्रदेश व देश के विभिन्न आयुर्वेदिक स्नातक/ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों तथा प्राध्यापकों द्वारा क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा फार्मसी का भ्रमण किया गया।

4. बजट/व्यय

विवरण (आवंटित बजट)	राशि रु. में	व्यय रु. में
गैर योजना	1,02,86,780	1,23,29,510
निर्देशालय स्तर पर कच्ची जड़ी बुटियों का क्रय	70,35,875	70,35,875
कुल	1,73,22,655	1,93,65,385

5.प्राप्तियां

विवरण	लेखा शीर्ष	राशि रू. में
107-sale of medicine	0210	47147
01-ROP	0210	1164
08-Auction	0210	1000
11-Misc. Receipt-RTI	0070	363
कुल प्राप्तियाँ:-		49674

औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर

आयुष विभाग के अन्तर्गत कार्यरत औषध परीक्षण प्रयोगशाला एक मान्यता प्राप्त संविधानिक निकाय है। ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट का अध्याय-4(A) अनन्य/एक मात्र रूप से आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी औषधियों पर नियंत्रण करता है। ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट के प्रावधान की धाराओं को व्यवहारिक रूप में लाने हेतु विभिन्न संविधानिक निकायों का गठन किया गया है। नियम 160(A) के अन्तर्गत आयुर्वेद सिद्धा एवं यूनानी औषधियों की प्रयोगशालाओं की स्थापना की व्यवस्था हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है इस एक्ट की धारा 33 EEB के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली आयुर्वेद सिद्धा एवं यूनानी औषधियों में विद्यमान भारी खनिजों की मात्रा की जांच को अनिवार्य बनाया गया है।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला का वास्तविक उद्देश्य:

जोगिन्द्रनगर स्थित औषध परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित वास्तविक उद्देश्यों के साथ की गई है:-

1. ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति की एकल एवं यौगिक औषधियों की जांच एवं उनका परीक्षण करना ।

2. राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेशियों से प्राप्त होने वाले एकल एवं निर्मित औषधियों के नमूनों की जांच एवं परीक्षण ।
3. प्रदेश में कार्यरत निजी फार्मेशियों से प्राप्त आयुर्वेदिक औषधियों के नमूनों की जांच एवं परीक्षण ।
4. विभिन्न प्रायोजित अभिकरणों/माध्यमों से आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता में नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अधिग्रहण करना ।

परीक्षण सम्बन्धी कार्य संचालन का विवरण

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर को एक आयुर्वेद संस्था के रूप में चिन्हित किया गया है जो कि आयुर्वेद सिद्धा एवं युनानी औषधियों के परीक्षण कार्य को करने में सक्षम है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए औषध परीक्षण प्रयोगशाला की संरचना को और सुदृढीकरण करने हेतु एक करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर आयुर्वेदिक फार्माकोपिया आफ इन्डिया जो कि औषधियों के मानको का वैधानिक दस्तावेज है में दर्शाये गये संलेखों के अनुसार परीक्षण कार्य कर रहा है। इस प्रयोगशाला द्वारा 5 आयुर्वेदिक औषधियों पर किये गये कार्य के निबन्ध **API** के पांचवे खण्ड में प्रकाशित किये गये है। इसके अतिरिक्त 6 आयुर्वेदिक औषधियों पर कार्य पूरा करके अन्तिम रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने वर्ष **2010—11** में 662 आयुर्वेदिक जांच नमूनों का परीक्षण कार्य किया जिससे **1.84** लाख रु. का राजस्व प्राप्त हुआ ।

उपलब्धियां :-

आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने औषधियों के परीक्षण कार्य में विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप सराहनीय कार्य किया है। औषध

परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा भारत सरकार से तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का अधिग्रहण किया है।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये

औषधियों के जांच नमूनों का विवरण:-

फार्मोकोपिया आफ इन्डिया जो कि औषधियों के मानको का वैधानिक दस्तावेज है मे दर्शाये गये संलेखों के अनुसार परीक्षण कार्य कर रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले जांच नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट राजकीय विषलेषक द्वारा ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट 1940 के नियमों के अन्तर्गत फार्म-50(Ref.160-D.F) पर हस्ताक्षर करके दी जाती है। औषध परीक्षण कार्य से सम्बन्धित लक्ष्य का वार्षिक निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2010-11 में औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने 662 जांच नमूनों का परीक्षण कार्य किया और देश में कार्यरत आयुर्वेदिक प्रयोगशालाओं मे से इस प्रयोगशाला को भारत सरकार द्वारा द्वितीय स्थान पर दर्शाया गया । पिछले पांच वर्षों में औषध परीक्षण कार्य का विवरण निम्न है:-

वर्ष	एकल औषध		यौगिक औषध		औषध नियंत्रक	कुल	राजस्व प्राप्ति लाखों में
	राजकीय फार्मसिया	निजी फार्मसिया	राजकीय फार्मसिया	निजी फार्मसिया			
2006-07	34	5	96	269	10	404	1,37
2007-08	87	28	91	400	14	620	2,14
2008-09	58	23	113	252	10	463	1,41
2009-10	69	28	110	330	20	557	1,79
2010-11	82	15	87	355	123	662	1.84

फार्मोकोपियल मानकों के अनुसार जो औषधियां सही नहीं पाई गई उनकी संख्या = 54 {2010-2011 }

घ) अनुसंधान संस्थान जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी

परिचय

हिमाचल प्रदेश राज्य देश उत्तर पश्चिम भाग में 30 22'40" उत्तर से 33 12'20' और 75 45'5" ई के मध्य स्थित है । हिमाचल प्रदेश बहुत लम्बे समय से प्राचीन एवं महान विद्वानों की अध्यात्मिक विषयों की मनुष्य जाति की भलाई की शोध स्थली रही है । आयुर्वेदिक संहिताओं में यह वर्णित है कि जो औषधिय पौधे, हिमालय क्षेत्र में पाये जाते हैं वे श्रेष्ठ हैं एवं कई असाध्य रोगों के निदान एवं चिकित्सा की औषधियों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं । ऐसी ही एक सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एन्जीयोस्पर्म की लगभग 3000 प्रजातियों में से लगभग 500 पौधों में औषधीय गुण पाये जाते हैं ।

गर्म से लेकर अति ठंडी जलवायु परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश वनस्पति व जन्तुओं का एक विशेष प्राकृतिक आवास है । हिमालय की भौगोलिक स्थिति इस विविधता का मूल कारण है । राज्य की विविध कृषि, जलवायु परिस्थिती के कारण, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषता है । मुख्य रूप से राज्य में चार कृषि जलवायु क्षेत्र निम्न प्रकार से पाये जाते हैं ।

1. गर्म जलवायु वाले कम उचाई वाले पहाडी क्षेत्र (शिवालिक श्रृखलायें, समुंद्र से 800 मीटर तक)
2. मध्य उचाई वाले पहाडी अर्ध ठंडे क्षेत्र (800 से 1800 मीटर के मध्य वाले)
3. उंचे नम शीतोष्ण क्षेत्र और अर्ध एल्पाइन क्षेत्र (2800 मीटर से उंचें)
4. उंचे शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र(हिमालय की उचाई वाले क्षेत्र)

वर्तमान में दवाई निर्माता कम्पनियों की 20 प्रतिशत से अधिक सालाना वृद्धि है । केवल हि0 प्र0 में प्राइवेट क्षेत्र में कुछ समय पहले आयुर्वेदिक दवाई बनाने की इकाईयां नाम मात्र को थीं जो आज 110 के लगभग है । इससे प्रतीत होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों की बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है । मुख्यतः कच्चे हर्बल उत्पाद की आपूर्ति जंगलों से एकत्र करके की जाती है ।

आयुर्वेद विभाग जड़ी बूटी और दवाइयों का मुख्य प्रयोगकर्ता व उपभोक्ता होने के कारण, यह निर्णय लिया गया कि जोगिन्दरनगर में एक केन्द्र स्थापित किया जाये जहां औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे सर्वेक्षण, एकत्रिकरण, प्रयोग, संरक्षण और कृषि आदि पर शोध किया जाये । जोगिन्दरनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराना विभाग का परिसर है जोकि औषधीय पौधों तथा गुणवत्ता नियन्त्रण एवं आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण कर रहा है विभाग ने वर्ष 1994-95 से अपने जोगिन्दरनगर के शोध केन्द्र पर जड़ी बूटियों की सम्पदा के विकास के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया हुआ है जिसमें जड़ी बूटियों के प्रोत्साहन , प्रयोग संरक्षण और प्रबन्धन पर कार्य किया जाता है । 19 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जड़ी बूटियों के हरवेरियम का उद्घाटन किया था जिसमें जड़ी बूटियों से सम्बन्धित आलेख तथा पौधों के नमूने रखे जाते हैं ।

हर्बल गार्डन

क. हर्बल गार्डन जोगिन्दरनगर (अप्रैल 2010-मार्च 2011)

अ. कुल उद्यान भूमि	24 एकड
उद्यान की गतिविधियों के लिए रक्षित भूमि	18 एकड

	भविष्य की योजना के लिए रक्षित भूमि	5 एकड
अ.1	भवन व अन्य निर्माणों के अधीन भूमि	2.61 एकड
अ.2	बहुवर्षीय पौधों के अधीन भूमि	
	1. पेड़ों के अधीन क्षेत्र	3 एकड
	2. बेलों व झाड़ियों के अधीन क्षेत्र	3 एकड
	3. पौधों और घास के अधीन क्षेत्र	1 एकड
अ.3	कृषि , कृषि तकनीक विकास, पोली हाउस, पौधशाला और बीज सम्बन्धन के अधीन क्षेत्र	4 एकड
अ.4	सिंचाई नालियों, टैंक व नाले	0.39 एकड
अ.5	भूमि विकास अधीन क्षेत्र	1.5 एकड
अ.6	प्रदर्शनी क्षेत्र	अ.2 और अ.3
अ.7	सडक, रास्ते	1.5 एकड
ब.	हर्बल गार्डन में निर्माण	
ब.1	पोली हाउस आकार	6(2-25x 25 मी0,4-10x 40 मी0)
ब.2	जालीदार पौध गृह	2
ब.3	सुखाने व भण्डारण गृह निर्माण	1 (9 मी0x8मी0)
स.	अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक के कार्यों का व्यौरा	
स.1	भूमि की तैयारी	5 एकड
स.2	पौध/पौध करतने	4000 वर्गमीटर
स.3	पोली हाउस में तैयार पौधे	25497 पौध
स.4	पौध रोपण	17750 एक वर्षीय
स.5	बीज व पौध का विपणन	127950/- रूप्ये
स.6	नये पौधों का कृषिकरण व सम्बन्धन (जीवक, मुरा, जंगली प्याज, पाषाणभेद, पुर्ननवा, सफेद मूसली, स्टीविया, नीम, जैट्रोफा, बेलाडोना, शिंगली मिंगली आदि)	
स.7	प्रायोगिक कृषि/ बीज सम्बन्धन (मालकंगनी, षतावरी, सर्पगन्धा, तुलसी, कपूरतुलसी, तेजपत्र, वच, ब्रहमी, धनिया, लहसुन, हल्दी, वासा, सफेद मूसली)	
स.8	पौध क्यारियों में पौध करतन प्रयोग 200 वर्ग मीटर (जिन्को, तालिसपत्र, मघपिपली, स्टीविया, बुलगेरियन गुलाब आदि)	

ग. नई जडी-बूटियों उगाई गई:-एट्रोपा बेलाडोना,भूतकेसी,कडू और गेंदा

घ. प्रायोगिक कृषि से उत्पादन

क्रम सं०	औषधियों के नाम	मात्रा(लगभग)
1.	तुलसी	90 कि० ग्राम
2.	कपुर तुलसी	150 कि०ग्रा०
2.	आंवला	300 कि० ग्राम
3.	ब्रह्मी	38.500 कि० ग्राम
4.	जम्बीरी	160 कि० ग्राम
5.	धनिया	0.5 कि० ग्राम
6.	कतरिन	05 कि० ग्राम
7.	हरड	400 कि० ग्राम
9.	बहेडा	600 कि० ग्राम
10.	कपुर तुलसी	150 कि० ग्राम
11.	तेजपत्रा	10 कि०ग्रा०
12.	हल्दी	200 कि.ग्रा०
13.	निरगुन्डी	150 कि०ग्रा०
14.	मुली	135 कि०ग्रा०

च. वर्ष के दौरान बीज एकत्र

क्रम सं०	औषधियों के नाम	मात्रा(लगभग)
1.	कार्डेक्स	200 ग्राम
2.	उलट कम्बल	600 ग्राम
3.	संसवाई	2000 ग्राम
4.	सतावरी	7000 ग्राम
5.	मालकंगनी	1000 ग्राम
6.	वायविडंग	2800 ग्राम
7.	आंवला	300 ग्राम
8.	कपूर तुलसी	100 ग्राम
9.	भाभरी तुलसी	850 ग्राम
10.	रामतुलसी	2000 ग्राम
11.	ष्याम तुलसी	100 ग्राम
12.	सर्पगन्धा	800 ग्राम
13.	कारडैक्स	200 ग्राम
14.	अर्जुन	4000 ग्राम
15.	लाजवंती	3000 ग्राम
16.	भृंगराज	90 ग्राम
17.	वनपलान्दु	100 ग्राम
18.	अकरकरा	900 ग्राम
19.	मधुपत्री	100 ग्राम

20.	बला	1000 ग्राम
21	लताकस्तुरी	1500 ग्राम
22.	आरतीमिसिया	700 ग्राम
23.	सूहांजन	125 ग्राम
24.	चन्द्रपूर	10000 ग्राम

छ. लिफाफों में तैयार पौध:-

क्रम सं०	औषधियों के नाम	मात्रा
1.	वासा	400
2.	ससंवाई	1100
3.	पूर्णनवा	100
4.	मालकंगनी	300
5.	वायविडंग	500
6.	आंवला	1200
7.	तेजपत्रा	1500
7.	कौंच	50
8.	कढीपत्र	300
9.	ष्योनाक	500
10.	सर्पगन्धा	2000
11.	रीठा	300
12.	हरड	2500
13.	बहेडा	1000
14.	अष्वगंधा	1000
15.	करंज	100
16.	जिंगो	100
17.	आर्टीमिजिया	50
18.	रुद्राक्ष	30
19.	अशोक	250
20.	विल्व	2000
21.	पुत्रजीव	350

ज. वर्मीकल्चर खाद

01 किबंटल

प. अन्य आवश्यक कार्य:-

1. वान्स व पोलीथीन का एक अस्थाई शैड उच्च औषधियों की सुरक्षा हेतु तैयार किया गया ।
2. समय-समय पर औषधीय पौधों से खरपतवार निकासी व निराई गुडाई
3. नर्सरी क्षेत्र, पोली हाउस और गमलों को पानी देना व खरपतवार नियन्त्रण
4. औषधीय पौधों का आयुर्वेदिक संस्थानों/औषधालयों को उनके परिसर में

- लगाने हेतु निःशुल्क वितरण जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निर्देश जारी किये गए थे । इसके अन्तर्गत वृत्त चिकित्सालय,जोगिन्द्रनगर, आयुर्वेदिक औषधालय मटरू व भराणु को औषधिय पौधे वितरित किये गए
5. किसानों, छात्रों और अन्य आगन्तुकों को गार्डन का भ्रमण करवाया तथा जानकारी दी गई जिनकी संख्या लगभग 2241 रहीं ।
 6. वर्मीकम्पोस्ट व गली सडी दे खाद को समय-समय पर लहसुन,धनियां,ब्रहमी तथा बहुवर्षीय पौधों में डाला गया ।
 7. हर्बल गार्डन से अबांछित झाडियों तथा खरपतवार को कटवाया गया ।
 - 08 . बहुवर्षीय पौधों की कटाई छंटाई की गई ।

प्रशिक्षण और प्रसार गतिविधियां

अ. किसान प्रशिक्षण शिविर

राज्य में किसानों तथा अन्य लोगों के लिये किसान प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली औषधीय पौधे के पहचान,संरक्षण,सम्बर्धन,कृषिकरण तथा प्रयोग के महत्व बारे जागरूकता लाई जा सके । लोगों को शिविरों में घर के आसपास पाई जाने वाली जडी बूटियों के प्रयोग की जानकारी दी जाती है ताकि इन जडी बूटियों से सस्ते में भोजन सामग्री तथा अन्य गुणवता युक्त पदार्थ प्राप्त किये जा सकें । प्रयोग के तौर पर लोगों को आवंला,अजवायन, मालकंगनी, एरंड,वला,सनूही,तुलसी,भृंगराज ,बुरांस,ब्रहमी,गिलाये,गुलाब, पुदीना, हरड,बहेडा आदि के उत्पाद बनाने सिखाये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सिर में लगाने तथा दर्द निवारक तेल बनाने भी सिखाये जाते हैं । इन विषयों पर जानकारी देने के लिये सस्ती दरों पर घर में ईलाज की श्रृंखला तैयार की गई हे जो लोगों को जानकारी प्रदान करती है। इसके लिये किसानों को संस्थान से बाहर प्रदर्शनियां लगाकर जागरूक किया जाता है। किसानों तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार से पौधों के श्रेणीकृत करके सस्ती दवाईयों के उपयोग के बारे में बताया जाता है जैसे जच्चा-बच्चा,पंचकर्म, और बुढापे में प्रयोग होने वाली जडी बूटियों आदि । डी0 एफ0ओ0 और बी0डी0ओ0 से पत्राचार करके भी लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है ।

वर्ष 2010-11 के दौरान लगाये विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्न से है :-

1	प्रशिक्षण शिविर	57
2	एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर	01
3.	तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर	06
4.	किसान जागरूकता भ्रमण	50
5	किसान लाभकर्ता	1191
6.	अन्य लाभकर्ता	1050
5.	विभागीय प्रदर्शनी	3
	1.जोगिन्दरनगर मेला 1 से 5.4.2010	
	2.रैडक्रास मेला मण्डी 31 अगस्त, 2010	
	3.अरोग्य मेला ऊना 25-27 सितम्बर, 2010	

प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन से एकत्र फीस 14250/-रु.

हरबेरियम

उद्देश्य:-

- औषधीय पौधों के नमूनों के पहचान कर व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित व संग्रहित करना ।
- प्रयोज्य-अंग के अनुसार औषधीय पौधों के नमूनों का पंचाग,मूल,त्वक, पत्र, शूल एवं बीज आदि के अनुसार वर्गीकृत कर दर्शाना ।
- किसान एवं ग्रामीण लोगों, आयुर्वेदिक चिकित्सकों, आयुर्वेद के छात्रों, गैर सरकारी संस्थाओं , फार्मसी, उद्योग, अनुसंधान आदि से जुड़े हुए लोगों को औषधीय पौधों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाना ।
- संस्थान द्वारा तैयार की गई औषधीय पौधों से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी सहित मुद्रित सामग्री का प्रदर्शन ।

1. औषधीय द्रव्यों के नमूनों का रखरखाव:

वर्तमान में रखे गये हरबेरियम में 525 हर्बल द्रव्यों को साफ किया गया तथा जहां जहां आवश्यकता समझी गई वहां इन्हें कीटों आदि के प्रभाव से बचाने के लिए रासायनिक विष का प्रयोग करके सुरक्षित रखा गया । यहां यह लिखना उचित रहेगा कि इन नमूनों को समय -2 पर पैथोजन, बैक्टीरिया, फफूंद व कीटों आदि से बचाने के लिए रासायनिक विष का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है ताकि यह नमूने हरबेरियम में सुरक्षित प्रदर्शित किये जा सकें ।

2. औषधीय पौधों के हरबेरियम शीटज पर संग्रहित नमूनें

संग्रहालय में पूर्व संग्रहित लगभग 5090 औषधीय पौधों की हरबेरियम शीटस का रख रखाव किया गया तथा इन्हें कीटों आदि के प्रभाव से बचाने के लिए रसायनिक विष का प्रयोग करके सुरक्षित रखा गया ।

3. वर्गीकरण (फैमलीज) की सूचना

हरबेरियम में प्रदर्शित 5090 हरबेरियम शीटज की 84 फैमलीज का साहित्य हरबेरियम शीटज के लिए बनाई अलमारियों(बाक्स)के बाहर प्रदर्शित किया गया ताकि हर प्रकार के आगन्तुकों को इनकी तुरन्त सूचना प्राप्त हो सके ।

4. सपीसिज कवर के कम्प्यूटरीकृत लेबल बदलना

वर्तमान में रखे गये 514 में से 300 सपीसिज कवर(फाईलें) जिस में औषधीय पौधों की हरबेरियम शीटज रखी जाती है के पुराने लेबल की जगह नए कम्प्यूटरीकृत लेबल लगाये गये तथा बाकी को बदलने का काम प्रगति पर है ।

5. अतिरिक्त हर्बल नमूने प्रदर्शित करने /पुराने नमूनों या हरबेरियम शीटज को बदलना

समय-2 पर कुछ हर्बल नमूनों एवं हरबेरियम शीटज को बदलना अनिवार्य हो जाता है और यह लगातार जारी रखने की प्रक्रिया है । इसके अन्तर्गत ब्रह्मी, मधुपत्री,सफेद मूसली, पुदीना,तुलसी, वाबुई तुलसी,कर्पूर तुलसी, कलमेघ, आंवला,हरड, बहेडा,,गिलाय,अष्वगन्धा, मण्डूकपर्णी, भृंगराज,चित्रक, वच, खवाल आदि के नमूनों को बदला गया ।

6. हर्बल पौधों के नमूनों को इकट्ठा करने के बाद एवं हरबेरियम शीटज बनाने एवं इनके प्रदर्शनी तक एक लम्बी प्रक्रिया है जैसे इनमें रसायनिक विष लगाना,हर्बल प्रैस में दबाना, हरबेरियम में रखे माउट बोर्ड (जिस पर हर्बल नमूनों को चिपकाया जाता है)पर चिपकाना एवं संग्रहित कर प्रदर्शित करना । वर्तमान में 20 हरबेरियम शीटज को हरबेरियम में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया जारी है ।

7. मुद्रित सामग्री की बढ़ोतरी

20 हर्बल पौधों से सम्बन्धित अतिरिक्त मुद्रित सामग्री को हरबेरियम में प्रदर्शित किया गया ।

8. आगन्तुको को प्रषिक्षण/ जानकारी

विभिन्न क्षेत्रों से आए 2241 आगन्तुकों जैसे किसान एवं ग्रामीण लोग, आयुर्वेद के छात्रों , आयुर्वेद चिकित्सकों , गैर सरकारी संस्थाओं , फार्मसी उद्योग एवं अनुसंधान से जुडे लोगों आदि को औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे पहचान एवं उनका प्रयोग आदि के बारे में जानकारी दी गई ।

9. हरबेरियम का नवीनीकरण

हर्बल गार्डन के सुदृढीकरण एवं सौदर्यकरण परियोजना के अन्तर्गत स्थापित हरबेरियम के अन्ताकरण एवं नवीनीकरण किया जा रहा है जैसे

कि हरबेरियम के नमूनों के मेजों को बदलना हरबेरियम की खराब छत को बदलना तथा हरबेरियम की लिपाई पोताई करना आदि शामिल हैं।

हरबेरियम में प्रदर्शित 31.3.2011 तक हर्बल नमूनों की स्थिति :

अ.हर्बल नमूने	
अ.1 विभिन्न हर्बल द्रव्य	
नमूने का नाम	संख्या
मूल औषधीय द्रव्य	96
त्वक औषधीय द्रव्य	54
पत्र औषधीय द्रव्य	68
फूल औषधीय द्रव्य	25
फल/ बीज औषधीय द्रव्य	74
पंचाग औषधीय द्रव्य	52
कुल:	369
अ.2 विशिष्ट तरह के हर्बल नमूने	
जच्चा एवं बच्चा के स्वास्थ्य में प्रयोग होने वाले औषधीय द्रव्य	30
मसालों के रूप में होने वाले औषधीय पौधे	20
विभिन्न बिमारियों में उपयोग होने वाले औषधीय पौधे	50
मिश्रित वर्गीकरण के अनुसार औषधीय पौधे	31
हर्बल गार्डन जोगिन्दरनगर में उगाए जाने वाले औषधीय पौधे	25
कुल:	156
कुल नमूने अ.1+अ.2	525
आ. हरबेरियम शीटज	5090
औषधीय पौधों के कुल फ़ैमलीज	84
औषधीय पौधों के जैनरा	314
औषधीय पौधों के सपीसिज	504

वनस्पति अनुभाग

प्रोजनी हर्बल गार्डन की स्थापना :-अनुसंस्थान, जोगिन्दरनगर के परिसर में वानिकी विभाग हि0 प्र0 के सौजन्य से Horticulture Technology Mission के अन्तर्गत एक प्रोजनी हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है । इस प्रोजनी (Progeny) हर्बल गार्डन में बढ़िया विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के बीज तथा पौध तैयार कर प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर किसानों, बागवानों तथा अन्य संगठनों को दिए जा रहे हैं जोकि औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी में रूचि रखते हैं ।

निम्न औषधीय पौधों की प्रजातियां तैयार की जा रही है ।

1.	कालमेघ	13.	सफेद मुसली
2.	शतावर	14.	ब्रह्मी
3.	सनाय	15.	अमलतास
4.	मण्डूकपर्णी	16.	कपूर
5.	तेजपत्र		
6.	कढीपत्ता	17.	बाबुई तुलसी
7.	तुलसी	18.	काली तुलसी
8.	सर्पगन्धा	19.	ऐरण्ड
9.	स्टीविया	20.	अर्जुन
10.	बहेडा	21.	हरड
11.	अष्वगन्धा	22.	आमला
12.	मालकंगनी		

औषधीय पौधों की पहचान:- इस संस्थान द्वारा औषधीय पौधों की पहचान की जाती है तथा पहचान करने के उपरान्त इनका सारा रिकार्ड हरबेरियम में रखा जाता है । इस वर्ष 20 औषधीय पौधों के नमूनों की पहचान की गई जो कि C.S.K. हि0 प्र0 कृषि विष्वविधालय तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भेजे गये। इसके अतिरिक्त इस अनुभाग द्वारा Sher-e Kashmir University of Agriculture Science & Technology ,Jammu के साथ एक केन्द्रीय परियोजना Free Radical Scavenger & Antioxidant activities of Selected North Western Himalaya Plants, परियोजना के अधीन औषधीय पौधों के नमूने एकत्र करके उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है । इस वर्ष 15 औषधीय पौधों के नमूनों की जांच उनका रिकार्ड परियोजना अधिकारी Sher-e Kashmir University of Agriculture Science & Technology ,Jammu को भेजा गया ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविधालय शिमला में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को हरड बेहडा के उपर कार्य कर रहे विद्यार्थियों को तकनीकी जानकारी दी गई ।


अन्य गतिविधियाँ

टिशुकल्चर प्रयोगशाला

टिशुकल्चर प्रयोगशाला का शुरुआती कार्य करना आरम्भ कर दिया गया है। इस प्रयोगशाला का पूर्ण रूप से कार्य तभी शुरू हो पाएगा जब किसी टिशुकल्चर अनुभवी कर्मी को नियुक्त किया जाएगा तथा हार्डनिंग चैम्बर इत्यादि का निर्माण किया जाएगा।

आयुर्वेदिक अनुसंधान जोगिन्दरनगर, अन्य सरकारी विभागों तथा विष्वविद्यालयों / संस्थाओं से मिलकर औषधीय पौधों की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है :

अन्य विभागों तथा संस्थाओं के साथ कार्यक्रम



1. वन विभाग के साथ गतिविधियाँ:- यह विभाग औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी सम्बन्धित जानकारी जैसे कि पौध तैयार करना, In situ & Ex situ खेती बाड़ी वन विभाग को प्रदान कर रहा है।
2. वानिकी तथा कृषि विभाग हि0 प्र0 के साथ गतिविधियाँ:- यह संस्थान तकनीकी जानकारी उक्त विभाग को प्रदान कर रहा है।
3. प्रदेश D.R.D.A के साथ कार्यक्रम:- यह विभाग प्रदेश के विभिन्न **D.R.D.A** के साथ उनके प्रतिभागियों को औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी तथा पहचान सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है।

प्रदेश स्थित अन्य हर्बल गाडनों का विस्तृत ब्यौरा ।

i) हर्वल गार्डन नेरी जिला हमीरपुर

विभाग द्वारा नेरी, जिला हमीरपुर में हर्वल गार्डन की स्थापना हेतू 28 एकड भूमि अर्जित की गई है जिसमें से लगभग 10 एकड भूमि पर जलवायु पर आधारित औषधीय पौधों उगाये जा रहे हैं । विभाग द्वारा इस हर्वल गार्डन में उगाये जाने वाली नर्सरियां इस प्रकार से हैं:- 1) तुलसी, भृंगराज, वाकुची, बला, अतिवला, अकरकरा, चित्रक, कपूर, तुलसी, काली तुलसी, माल कंगनी, लजालू, कलिहारि, टवैर, आमला, जयफल,गुंजा, विलास, सुहांजन, अमलतास ,बहैडा, हरड, कड़ीपत्ता, (मीठा नीम) भूमि आमला, सुफेद मूसली तथा शतावरी आदि ।

वर्ष 2010-11 में विक्रय किए गये औषधीय पौधों का विवरण निम्न प्रकार से है

:-

क्र०सं०	औषधीय पौध का नाम	मात्रा
1.	हरड	769
2	बेहडा	1589
3	आंवला	1376
4.	नीम	1212
5.	घृतकुमारी	1558
6	सटिविया	1381
7.	भेल	242
8.	चंदन	105
9	अष्वगंधा	266
10.	कालमेघ	713
11	लेमन ग्रास	29
12	मेंहदी	16
13	काली तुलसी	37
14	वनक्षा	28
15	मुस्की कपुर	94

16	जंगली प्याज	32
17	आक	03
18	कपूर तुलसी	21
19	श्ताबर	37
20	अंजवायन	11
21	सुहांजन	21
22	अर्जुन	26
23	मग पीपली	64
24	मालकांगनी	03
25	रीठा	08
26	सीता अषोक	22
27	लाजवंती	28
28	करंज	09
29	पीत कनेर	06
30	पुत्रजीवा	12
31	सर्पगन्धा	05
32	चमेली	01
33	विदारा	06
34	अकरकरा	04
35	सिकाकाई	02
36	वन अजवायन	02
37	हडजोड	11
38	शालर्पणी	01
39	चित्रक	10
40	शयोनाक	10
41	तेजपत्रा	12

अन्य उपलब्धियां:

1. भूमि तैयार की गई 5 एकड़
2. 11225 पोलिथीन बैगों में 25 विभिन्न प्रकार के पौधों की नर्सरी उगाई गई !
3. मु0 117235/-रु0 की औषधिय पौधों का विक्रय
4. आयुर्वेदिक फार्मसी जोगिन्द्रनगर को निम्न से रा-हर्बर्ज की आपूर्ति की गई:-

राज0 आयुर्वेदिक फार्मसी,जोगिन्द्रनगर

1.	कटरीन	150 कि0ग्रा
2.	बनारसी आंवला	510 कि0ग्रा0
3.	लोकल आंवला	190 कि0ग्रा0
4.	वाईटैक्स निगुडो	150 कि0 ग्रा0
5.	लाजवंती बीज	990 ग्रा0
6.	वचा	04 कि0ग्रा0

ii) हर्वल गार्डन दुमरेडा (रोहडू) जिला शिमला

आयुर्वेदिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 7500 मीटर उचाई वाले शीतोष्ण खण्ड में पाए जाने वाले औषध पौधों की कृषि तकनीक विकसित करने के लिए दुमरेडा (रोहडू) जिला शिमला में हर्वल गार्डन की स्थापना की गई है। इस हर्वल गार्डन की मुख्य विशेषता शीतोष्ण खण्ड में औषधीय पौधों को इकट्ठा करना व महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी करना है। वहां उगाये जाने वाले मूल्यावान औषध पौधों की संख्या लगभग 24 है। वर्ष 2010-11 के दौरान 55000/- औषधिय पौध का विक्रय किया गया।

iii) हर्वल गार्डन जंगल-झलेडा (बिलासपुर)

विभाग द्वारा जंगल-झलेडा जिला बिलासपुर में लगभग 4.5439 हैक्टेयर भूमि, वहां विद्यमान जलवायु पर आधारित औषध पौधों की खेती हेतु चयनित की गई है। इस हर्वल गार्डन में विद्यमान जलवायु व उंचाई के अनुसार औषध पौधों की नर्सरियां उगाई जायेगी जिसके लिए भूमि विकास का कार्य आरम्भ किया गया है।

आम जनता/नागरिकों को उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/सुविधाएं

i) जब कोई नई योजना चलाई जाती है, नियमों/विनियमों में संशोधन या कोई नई नीति बनाई जाती है, उसका प्रचार शैक्षिक विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक नागरिक का किसी प्रकार की सूचना लेने के लिए कार्यालय समयानुसार प्रातः 10 से 5 बजे तक स्वागत किया जाता है।

ii) निदेशालय स्तर पर जन सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिन्हें राज्य जन सूचना अधिकारी का प्रभार भी सौंपा गया है। पूरे प्रदेश में विभाग के अन्तर्गत इस कार्य के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालयों, महाविद्यालय, क्षेत्रीय अस्पताल व फार्मसियों में 21 जन सूचना अधिकारी कार्यरत है, इस अधिनियम के अन्तर्गत 31.3.2011 तक विभाग में 451 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें समस्त आवेदनकर्ताओं को सूचना उपलब्ध करवाई गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Total of requests received during the year	Information supplied on	No. of appeals	Appeals before the Appellate authority			Appeals before State Inf. Commission			Amount of charges collected
			Appeals instituted	Appeals accepted	Rejected	Appeals Instituted	Appeals accepted	Rejected	
451	451	11	08	---	8	03	01	02	Rs.15908

The names, designation and other particulars the public information officers. At Government level

S. No.	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to application
1.	Principal Secy. Ayurveda Appellate Authority	#201 Armsdale Building ,H.P. Secretariat, Shimla-2	0177-2620560	--	Administrative Department at Secretariat Level
2.	Deputy Secretay Ayurveda Public Information Officer	#207 Armsdale Building ,H.P. Secretariat,	0177-2828498	--	-do-

The names / designation of Public information Officers/ APIOs and Appellate Authority under RTI ACT 2005.

Directorate/State Level

- I) DEPARTMENT/PUBLIC AUTHORITY: - Directorate, Department of Ayurveda Himachal Pradesh, and Shimla-171009.
 II) State PIO- Assistant Director-I, Directorate of Ayurveda.

Directorate level

S.No.	Name of Officer	Designated as	Tel. No.	Jurisdiction
1.	Director	Appellate Authority	0177-2623066 Extension--42	At Directorate level ISM&H
2.	Assistant Director	P.I.O.	0177-2623066 Extension--24	At Directorate level ISM&H
3.	Supdt. Estt.-I	A.P.I.O.	0177-2623066 Extension--39	At Directorate level ISM&H

Field Level

DEPARTMENT / PUBLIC AUTHORITY: - DEPARTMENT OF AYURVEDA

S. No.	Name of P.I.O.	Address	Tel. No.	Jurisdiction for which he will be rendering information to the applicants
1.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Bilaspur	222486	Distt. Bilaspur
2.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Chamba	222669	Distt. Chamba
3.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Hamirpur	222539	Distt. Hamirpur
4.	District Ayurvedic officer	O/o DAO-Kangra at Dharamshala	223202	Distt. Kangra
5.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Kinnaur at Recong-Peoo	222209	Distt. Kinnaur
6.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Kullu	222637	Distt. Kullu
7.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- L&S at Keylong	222271	Distt. L&S
8.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Mandi	223362	Distt. Mandi
9.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Shimla	2622101	Distt. Shimla
10.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Sirmaur	222567	Distt. Sirmaur
11.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Solan	223538	Distt. Solan
12.	District Ayurvedic officer	O/o DAO- Una	226011	Distt. Una
13.	Principal	R.G.G.PG. Ayurvedic College Paprola..	242064	For College
14.	Medical Superintendent	Regional Ayurvedic Hospital Shimla-2	2621753	For RAH Shimla
15.	Medical Superintendent	Regional Ayurvedic Hospital Paprola	242941	For RAH Paprola.
16.	Manager	Govt. Ay. Pharmacy Joginder Nagar	222048	For Pharmacy Jogindernagar
17.	Manager	Govt. Ayurvedic Pharmacy Majra	255122	For pharmacy Majra.

	Project Officer	Govt. Research institute in ISM Joginder Nagar	222970	For Research Centre
19	Incharge(Drug Analyst)	Govt .Drug testing Laboratory	222092	For DTL Jogindernagar
20	Registrar, Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine,(H.P.)	Directorate of Ayurveda & H.P.Shimla-9	0177262 3066 Ext. 40	Whole State
21	Registrar, Council of Homoeopathic System of Medicines(H.P.)	Regional Ayurvedic Hospital,Shimla-2	0177-2621753	Whole State

उत्तरदायी प्रशासन—जन शिकायत एवं समस्याओं को प्रभावशाली निवारण एवं रोकथाम हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ:

क्रम संख्या	पद	कार्यालय दूरभाष
1	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,विलासपुर	01978.—222486
2	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,घुमारवी	—
3	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,चम्बा	01899—222669
4	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,टुण्डी	—
5	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,तुन्नूहटी	—
6	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, भरमौर	—
7	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, पांगी	—
8	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, भंजराडू	—
9	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हमीरपुर	01972—222539
10	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी.मैहरे	—
11	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी.घर्मशाला	01892—223202
12	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बैजनाथ	—
13	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, बालकरुपी	—
14	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा कांगडा	—
15	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नुरपुर	—
16	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पालमपुर	—
17	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी देहरा	—
18	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी राजा का तालाव	—
19	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,किन्नौर स्थित रिगांगपिओ	01786—22209

20	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, निगुलसरी	—
21	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी कुल्लू	01902-222637
22	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, आनी	—
23	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, बन्जार	—
24	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, केंलाग	01900-222271
25	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, स्पति	—
26	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी मण्डी	01902-223362
27	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, जोगिन्द्रनगर	—
28	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, चैलचोक	—
29	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सुन्दरनगर	—
30	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सरकाघाट	—
31	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, ममेल (करसोग)	—
32	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, षिमला	0177-2622101
33	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सन्धु	—
34	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, रामपुर	—
35	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, नेरवा	—
36	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, रोहडू	—
37.	कार्यकारी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, सॉलन	01792-223538
45	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कडाघाट	—
38.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी जलाना	—
39	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नालागढ	—
40	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, नाहन	01702-222567
41	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सुरजपुर	—
42	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, राजगढ	—
43	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, ऊना	01975-226011
44	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, अम्ब स्थित भन्जाल	—

रोगी कल्याण समितियों का गठन :

विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पपरोला जिला कांगडा, शिमला एवं प्रत्येक जिला स्तरीय एवं उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रोगी कल्याण समिति के गठन किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप इन चिकित्सालयों में इस समय 26 रोगी कल्याण समितियां कार्य कर रही हैं जिनका विवरण निम्न से है:-

Distt.-wise detail of Rogi Kalyan Samiti in the State under the Department of Ayurveda.

Distt. S.No.	S.N	Name of Society
1.	(1)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Bilaspur.
	(2)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Kandraur, Bilaspur.
2	(3)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Chamba
	(4)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Bharmour, Chamba.
3	(5)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Hamirpur.
	(6)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Kadiar, Hamirpur
	(7)	Rogi Kalyan Samiti at Jain Muni Ayurvedic Manvi, Hamirpur
4	(8)	Rogi Kalyan Samiti at District Ay. Hospital Dharamshala, Kangra at D/Sala.
	(9)	Rogi Kalyan Samiti at Halder Kona Ayurvedic Hospital, Kangra
	(10)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Dehra, Kangra
	(11)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Harsar, Kangra
	(12)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Paprola, Kangra
5	(13)	Rogi Kalyan Samiti at District Ay. Hospital Recong Peo, Kinnaur
	(14)	Distt. Ayurvedic Hospital, Kullu, Distt. Kullu.
6	(15)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Katrain, Kullu
7	(16)	Rogi Kalyan Samiti at District Ay. Hospital Keylong, L & Spiti
8	(17)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Mandi
	(18)	Rogi Kalyan Samiti at Circle Ay. Hospital Jogindernagar, Mandi.
9	(19)	Rogi Kalyan Samiti at Regional Ayurvedic Hospital Shimla
	(20)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Rampur, Shimla
	(21)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Rohru, Shimla
10	(22)	Rogi Kalyan Samiti at District Ay. Hospital Nahan, Sirmaur

	(23)	Distt.Ayurvedic Hospital,Solan
11	(24)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Nalagarh, Solan
12	(25)	Rogi Kalyan Samiti at District Ayurvedic Hospital Una
	(26)	Rogi Kalyan Samiti at Ayurvedic Hospital Ispur, Una

वर्ष 2010-11 की मुख्य उपलब्धियां

1. सरकार द्वारा पी.एच.सी./सी.एच.सी. में एन.आर.एच.एम.के अन्तर्गत 155 पद आयु0चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें से 76 पदों पर नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। वैचवाईज आधार पर भरे जाने वाले पदों की प्रक्रिया सम्पन्न कर ली गई है। 77 पद हि0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने हैं जिन्हें शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है।

अनीमिया मुक्त हिमाचल कार्यक्रम

अनीमिया के उन्मूलन हेतु स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग द्वारा पाइलट आधार पर अनीमिया मुक्त हिमाचल कार्यक्रम हमीरपुर व कांगडा जिला में आरम्भ किया गया है।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.आर.एच.एम.) द्वारा दूसरे चरण हेतु मु. 209.77 लाख रुपये की राशि आयुर्वेद विभाग को उपलब्ध करवाई गई है। दूसरे चरण के लिए अन्य 10 जिलों के चयनित स्वास्थ्य खण्डों से यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इन चयनित स्वास्थ्य खण्डों में लगभग 1.58 लाख रोगियों का सफलतापूर्वक निरीक्षण/ उपचार अभी तक किया जा चुका है।

जडी बूटियों के स्रोतों का विकास।

औषधी पौधों से सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत रू0 2.06 करोड मूल्य की एक वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है, जिसका कार्यान्वयन स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हि0प्र0 एवं उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त लिखित योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवमं क्षमता बर्धन हेतु रू 59.50 लाख की परियोजना भी स्वीकृत की गई है।

आयुर्वेद विभाग द्वारा चयनित औषधीय पौधों के विपणन हेतु पतांजलि योग पीठ, हरिद्वार के साथ एक एम.ओ.यू. किया है, जाकि हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मध्यस्तता से कार्यान्वित होगा। हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा 37 औषधीय पौधों को कृषि उपज का दर्जा दिया गया है।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस ध्येय से आरम्भ किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकें। आयुष विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा कार्यान्वित करवाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी0एच0सी0 एवं जिला अस्पतालों में आयुष चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जिसके अन्तर्गत विभाग को मु0 18.90 करोड की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। इसकी स्थापना से प्रदेश के लोगों को एक ही स्थान पर दोनो एलौपैथी व आयुर्वेद पद्धतियों से ईलाज की सुविधा प्राप्त होगी।

इस पोलिसी के अन्तर्गत 2010-11 में मु0 400.07 लाख रू0 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन फलैक्सीपुल के अन्तर्गत वेतन के लिए 173 आयुर्वेद ईकाईयों को सी0एच0सी0 में स्थापना के लिए ,14 जिला/ जोनल अस्पताल में आयुष विशेष ईकाईयों की स्थापना के लिए तथा 14 होम्योपैथिक ईकाईयो का ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापना हेतु स्वीकृत किए गए है।

5. सभी 28 आयुर्वेदिक अस्पतालों को सतोरन्ननत करने के लिए रू0 63.36 लाख रूपये प्रति अस्पताल के हिसाब से 85 प्रतिशत राशि जो कि 1507.96 लाख बनती है भारत सरकार के आयुष विभाग से प्राप्त की गई।

6. विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को अपंग कोटा के अन्तर्गत भरा गया

7. ऊना में 25 से 27 सितम्बर 2010 तक आरोग्य मेले का सफल आयोजन किया गया ।

8. कटराई जिला कुल्लू में वृत आयुर्वेद अस्पताल के प्रथम चरण में नये भवन का शिलान्यास 9 नवम्बर 2010 को किया गया जिस पर 73.42 लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी ।

9. ऊना में जिला आयुर्वेद अस्पताल के दूसरे चरण का शिलान्यास 25 सितम्बर 2010 को किया गया जिस पर 194.24 लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी ।

10. लम्बलू जिला हमीरपुर में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्तन कर 10 विस्तरीय अस्पताल किया गया । आयुर्वेद भवन का शिलान्यास 29-10-2010 को किया गया जिस पर 52.73 लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी ।

11. प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों में क्वाथशालायें आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत ताजा काढ़े बनाकर रोगियों को दिए जा रहे है ।

12. प्रदेश में पंचकर्म उपचार के केन्द्रों को 6 से बढ़ाकर 16 किया गया तथा क्षार-सुत्र केन्द्रों की संख्या 2 से बढ़कर 9 हो गई है !

13. प्रदेश में किसानों को औषधियों पौधों के कृषिकरण, संरक्षण एवं संवर्धन सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने के लिये विभाग द्वारा 57 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 1050 के लगभग किसान लाभान्वित हुए ।

14. 22 निशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत 49142 मरीजों की जाँच कर औषधियां वितरित की गई